बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक ल्क के नगद भुगतान (बिना डाक कट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2008— ज्येष्ठ 2, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक 491/294/2008/1-8 /स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, स्टाफ आफिसर, गृह विभाग को दिनांक 20-5-2008 से 31-5-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार को प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2008.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक 493/327/2008/1-8 /स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को दिनांक 21-4-2008 से 26-4-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. कुन्दानी को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) में कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक एफ 2-2/08/1-8.—श्री एच. पी. किण्डो (रा. प्र. से.), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को आदेश क्रमांक बी-1-28/2007/एक/4 दिनांक 25-01-2008 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिसमय श्रेणी वेतनमान रु. 16400-450-20000 में नियुक्त करने के फलस्वरूप श्री किण्डो को अतिरिक्त सचिव घोषित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है तथा इन्हें आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री अनुराग लाल (रा. प्र. से.), अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को आदेश क्रमांक बी-1-30/2007/एक/4 दिनांक 25-01-2008 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000-375-16500 में नियुक्त करने के फलस्वरूप श्री लाल को उप-सचिव घोषित करते हुए यथावत् पदस्थ किया जाता है.

3. श्री जे. एस. दीक्षित (रा. प्र. से.), उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को आवास एवं पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है. श्री दीक्षित के पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2008

क्रमांक 2240/310/पंग्राविवि/22/2008.— श्रीमती संजीता गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को दिनांक 01-05-2008 से 30-05-2008 तक 30 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती संजीता गुप्ता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संजीता गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडूमकेला प. ह. नं. 17	3.995	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय के एल. बी. सी. मुख्य नहर चैन क्रमांक 0 से 62 तक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडूमकेला प. ह. नं. 17	1.424	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय के आर. बी. सी. मुख्य नहर चैन क्रमांक 0 से 30 तक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/627/ले. पा./भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	कांचरी प. ह. नं. 24	1.035	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भोजेपारा माइनर निर्माण के अंतर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 मई 2008

क्रमांक/724/प्रा.-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	बालोद प. ह. नं. 5/1	0.068	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग सेतु निर्माण, राजनांदगांव.	तान्दुला नदी पुल पहुंच मार्ग हेतु अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ज़ांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासनं, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कोसमंदा	11.057	कार्यपालन अभियंता, (निर्माण), द. पू. म. रेल्वे, बिलासपुर.	प्रस्तावित चांपा बाईपास रेल्वे लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर चांपा, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीशंकर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	851/5	0.097
योग	1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बम्हनीडीह, पोड़ीशंकर, कपिस्दा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/626/प्र.-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-मंगलोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.23 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	628/3	0.02
	628/4	0.08
	628/7	0.06
	628/6	0.07
योग	4	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 1 मई 2008

क्रमांक क/ख. लि./खुला घो./2008.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायानुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (तीस) दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
1.	सेरीखेड़ी	112	रायपुर	690/2	1.36 ए.	श्री चिंकारा इंटरप्राईजेस भागीदार अनुराग मसीह आ. श्री अशोक मसीह के पक्ष में दिनांक 25-3-97 से 24-3-2007 तक स्वीकृत चूना-पत्थर उत्खनिपट्टा की अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है. उक्त भूमि निजी भूमि स्वामी हक की भूमि है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2008

क्रमांक / 159/मंडी निर्वाचन/अधि. 2008.—— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति छुरिया-25, जिला राजनांदगांव के लिए क्षेत्र क्रमांक 25/8 (आमगांव-कु.) के रिक्त पद के लिए निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये :-

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गोविन्द आ. लतेल	कृषक सदस्य	ग्राम व पोस्ट-आमगांव व्हाया बांधाबाजार, जिला-राजनांदगांव.

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 28 अप्रैल 2008

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 8 मई 2008

क्रमांक/ 24/मंडी निर्वाचन/अधि./07-08.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, बरमकेला [illegible] 61/6 बड़े नवापारा के उप निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए कृषक सदस्य के नाम निम्नानुसार है.

क्रमांक	निर्विरोध निर्वाचित सदस्य का नाम	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती नीला पटेल	कृषक सदस्य	ग्राम - पोस्ट - रिसोरा तहसील- बरमकेला जिला- रायगढ़ [illegible]

राधसिंह,
[illegible]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR

Bilaspur, the 11th April 2008.

No. 520/Confdl./2008/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Yogita Gadpayle, VI Civil Judge Class-II, Durg, for change of her name, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Yogita Vinay Wasnik". It is directed that necessary changes be effected in all her records.

Bilaspur, the 11th April 2008

No. 522/Confdl./2008/II-2-99/2001.— On the application dated 05-03-2008 of Shri Narendra Singh Chawla, Additional District & Sessions Judge, Dakshin Bastar, Dantewara requesting for change of his home District, permission is hereby accorded to change his home District from Raipur to Mahasamund with a direction that necessary changes be effected in all his records.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

Bilaspur, the 5th March 2008

No. 01/Vigilance/2008.— WHEREAS a Departmental Enquiry is contemplated, against Shri L. R. Thakur, IInd Additional District & Sessions Judge, Ambikapur for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on Hon'ble the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, Hon'ble the High Court hereby places Shri L. R. Thakur, IInd Additional District & Sessions Judge, Ambikapur under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. The Head Quarter of L. R. Thakur, IInd Additional District & Sessions Judge, Ambikapur is fixed at Ambikapur until further orders. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

Bilaspur, the 11th April 2008

No. 3377/I-7-3/2008 (Pt.-I)— The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare 19th April, 2008 (Saturday) as non-working day for the High Court and the Registry and in place of it, 4th October, 2008 (Saturday) is declared as working day for the High Court and Registry.

By order of the High Court,
SANDEEP BUXY, Registrar Vigilance.

Bilaspur, the 13th February 2008

No. 05/L. G./2008/II-2-35/2004.— Shri Surendra Tiwari, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur (C[illegible] is hereby, granted earned leave for 12 days from 25-02-2008 to 07-03-2008 and permission to prefix holiday of 24-0[illegible] & suffix holidays of 08-03-2008 & 09-03-2008.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immedia[illegible] proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Surendra Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+08 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 13th February 2008

No. 06/L. G./2008/II-2-8/2004.— Shri P. K. Shrivastava, Judge, Family Court, Manendragarh, District Koriya is hereby granted earned leave for 09 days from 22-02-2008 to 01-03-2008 and permission to suffix holiday of 02-03-2008 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 240+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2008

क्रमांक 37/दो-2-24/2003.— श्री एच. आर. गुरूपंच, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अम्बिकापुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-10-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित्त अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2008

क्रमांक 38/दो-2-24/2003.— श्री एच. आर. गुरूपंच, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अम्बिकापुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-10-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 22 फरवरी 2008

क्रमांक 49/दो-2-4/2005.— श्री सी. बी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-01-2008 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनकें अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2008

क्रमांक 57/दो-3-15/2007.— श्री आर. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-12-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्रमांक 69/दो-2-20/2005.— श्री एम. पी. सिंघल, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-02-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-12-2006 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2008

क्रमांक 84/दो-2-22/2001.— श्रीमती मैत्रेयी माथुर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2008

क्रमांक 3320/जेओटीआई/2007.— श्री निर्मल मिंज, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर वर्तमान में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 तक के खण्ड अवधि के लिए उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्र. 13040/XXI-B/C. G./06 रायपुर दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.